

पत्र संख्या-विधि-3 (1) / 4 (B) / 2015-16//

1344 / 1718092 // वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, 30 प्र० ।
(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 16 फरवरी, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि०अनु०शा० / प्रवर्तन) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

विषय:- तत्समय प्रचलित 30 प्र० व्यापार कर अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत कर
प्रदत्त वायर रॉड से निर्मित वायर पर कर देयता के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या-1978 / 11-2-17-9(55) / 11 टी०सी० दिनांक 04 जनवरी, 2018 द्वारा सिविल अपील संख्या-7830-7832 आफ 2009 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 19-09-2017 का अनुपालन किये जाने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

सिविल अपील संख्या-7830-7832 ऑफ 2009 कमिश्नर ट्रेड टैक्स बनाम एस०एस० इण्टरनेशनल इलेक्ट्रोड्स के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19-09-2017 को पारित निर्णय एवं आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

7- “Even if we are to hold that an exercise for determination whether two items clubbed together in section 14 of Central Sales Tax Act 1956 are one or two distinct items has to be made a reference can be made to the views expressed by this Court in Collector of Central Excise.

“ Technoweld industries 2003 (155) E.I.T. (SC) where though for the purposes of Central Excise Duty, The question has been answered by holding that iron rods and iron wires are one and the same commodity and the extraction of wires from iron rods does not amount to any manufacturing activity. In this regards, we have also taken note of the definition of the term “ manufacture” contained in section 2 (e-1) of the U P Trade Tax Act,1948. The said definition would not enable us to take a view different from the conclusion reached by this Court in Collector of Central Excise (Supra). Though the aforesaid decision was in the context of levy of Central Excise

Duty we do not see how in the teeth of the finding recorded in the said order that extraction of wires from iron rods does not amount to a manufacturing activity, any other conclusion except that the two items are one and the same can be reached.

8- “ In view of the aforesaid conclusions recorded by us we find no infirmity in the order of the High Court. The order of the High Court is accordingly upheld.”

9- “ Consequently and in the light of the above the appeals filed by the revenue (i.e. Civil Appeal Nos. 7830-7832/2009, 7835-7838/2009 and 7834/2009) are dismissed and the appeal filed by the Assessee (i.e. Civil Appeal No. 7833 of 2009) is allowed. ”

कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय से सभी अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये इस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

K. S. R.

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ० प० संख्या व दिनांक उक्त:

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन को पत्र संख्या-1978 / 11-2-17-9 (55) / 11 टी०सी० दिनांक 07 जनवरी 2018 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

S. K. P.
(संजय कुमार पाठक)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।